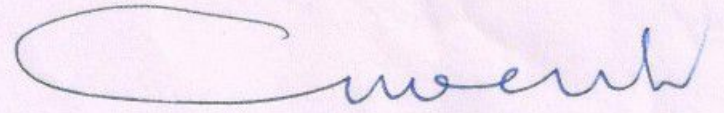


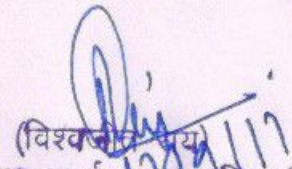
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संरेखण में आने वाली 9.1549 हे० आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित कर उपलब्ध कराने विषयक वचनबद्धता

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में उसके संरेखण में ग्राम सेहदा, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ की 2.10 हे० तथा ग्राम फत्तेपुर, तहसील सदर, जनपद सुल्तानपुर की 7.0549 हे० अर्थात् कुल 9.1549 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रयोग के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप उक्त आरक्षित वन भूमि के बदले उसी ग्राम सेहदा, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ की 2.1290 हे० तथा ग्राम फत्तेपुर, तहसील सदर, जनपद सुल्तानपुर की 7.321 हे० अर्थात् कुल 9.45 हे० गैर वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामांतरित कर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रक्रिया पूर्ण करके सम्बन्धित अभिलेख प्रश्नगत संदर्भ में प्रस्तावित REC की बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दिया जायेगा।



(अवनीश कुमार अवस्थी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी



(विश्वजीत शर्मा)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)